[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं0 35/2018 -- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि. ……... (अ)—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 34/2018-केंद्रीय कर, तारीख 10 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जुलाई, 2018 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर 3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में, 24 अगस्त, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी ।"।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 761(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई ।